सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 9 राँची, शुक्रवार, 18 अग्रहायण, 1938 (श०)
9 दिसम्बर, 2016 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

5 दिसम्बर, 2016

संचिका संख्या-**5/**स०भू० देव० **(ESI) -215/2016-6272,**

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषयः- देवघर जिला के मधुपुर अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत करौं अंचल के मौजा-सगरभंगा, थाना संख्या-**592,** खाता सं०-**31** एवं दाग सं०-**253** में अंतर्निहित कुल रकबा-**10.00** एकड़ गैरमजरूआ भूमि किस्म परती कदीम (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-**1)** को कर्मचारी राज्य बीमा **(ESI)** अस्पताल की स्थापना हेतु श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के पक्ष में निःशुल्क भू-हस्तांतरण करने के संबंध में ।

आदेशः- स्वीकृत ।

i. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा पाँच वर्षों की अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी ।

ii. उपायुक्त, देवघर प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे ।

iii. मात्र इस प्रस्ताव में राजस्व विभागीय संकल्प सं०**-4306/**रा०, दिनांक **24 अक्टूबर**, **2014** की कंडिका-**4 (b**) को शिथिल करते हुए भू-हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

iv. अन्य सभी शर्ते इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी ।

v. उपायुक्त, देवघर प्रस्ताव में सन्निहित भूमि वन भूमि अथवा जंगल-झाड़ी भूमि है तो वन संरक्षण अधिनियम, **1980** के तहत् सक्षम प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति मिलने के उपरांत ही भूमि विमुक्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धर्मेन्द्र पाण्डेय,
सरकार के विशेष सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 9--50